

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग- 5

लखनऊ दिनांक 31 मार्च 2016

विषय: राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर पुनर्गठन पेयजल योजना हेतु द्वितीय किशत की धनराशि को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-65/नागर-2/033-0410/16, दिनांक 16.03.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर पुनर्गठन पेयजल योजना हेतु निर्धारित लागत ₹0 4256.97 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति एवं उक्त के सापेक्ष शासनादेश संख्या-102/नौ-5-2015-318बजट/2015, दिनांक 26.03.2015 द्वारा प्रथम किशत के रूप में अवमुक्त धनराशि ₹0 850.00 लाख का उपभोग होने के दृष्टिगत द्वितीय किशत के रूप में ₹0 113.30 लाख (₹0 एक करोड़ तेरह लाख तीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उपरो जल निगम लखनऊ तथा सचिव/विशेष कार्याधिकारी /उप सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर /पीएलए/डिपोजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।
- (2) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा ।
- (3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (4) प्रशंगत धनराशि जिस कार्य मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय।
- (5) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जाय ।
- (6) परियोजना को पूर्ण कराते हुए परियोजना तत्काल सम्बन्धित नागर निकाय को हस्तान्तरित किया जाय।
- (7) इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/ मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे । यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो, तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा उनके द्वारा मामलों की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोनागत लेखाशीर्षक "2215-जल पूर्ति तथा सफाई-01-जलपूर्ति-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-उपरो व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय निकायों के पेयजल कार्यों हेतु- 35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान"के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप दिनांक 30.03.2015 के प्रस्तर-2(17) में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय



(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

संख्या- 77 /2016-1176 /नौ-5-16-318बजट/2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (वर्क्स लेखा अनुभाग), उपरो इलाहाबाद
- 2- जिलाधिकारी, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर।
- 3- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
- 4- निदेशक, नगरीय निकाय उपरो, लखनऊ।
- 5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उपरो लखनऊ।
- 6- अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, दादरी गौतमबुद्धनगर।
- 7- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
- 8- मुख्य अभियंता (गा0क्षे0), उपरो जल निगम, गाजियाबाद।
- 9- अधिशासी अभियन्ता, उपरो जल निगम, गौतमबुद्धनगर।
- 10- वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 एवं नियोजन अनुभाग- 3/4
- 11- सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उपरो शासन।
- 12- गार्ड फाइल/ कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,


(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016

आवंटन दिनांक-31/03/2016

प्रेषण संख्या:- 77
आवंटन आदेश संख्या:- 001-77-2016-1176-9-5-16-318B-14TC
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)
01 - जलपूर्ति
192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषदों को सहायता
04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय
01 - नगरीय निकायों के कार्यों हेतु

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान प्रगामी	11330000 349999500	11330000 349999500
	योग	वर्तमान प्रगामी	11330000 349999500	11330000 349999500

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रुपया एक करोड़ तेरह लाख तीस हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रुपया चौतीस करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार पाँच सौ

(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी